यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंह नगर के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविशंकर एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.16 से 22.09.16 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं नवीन कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.2014 से 27.10.2014 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 03/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1.	श्री एस.सी. पंत	अधिशासी अभियन्ता	01.11.2013 से 13.09.14
2.	श्री पी.सी. लोहुयी	अधिशासी अभियन्ता	20.08.14 से वर्तमान तक

1. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
		भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
01	01/2001–02	–	1	–
02	42/2004–05	–	2	–
03	47/2006–07	1, 2	1, 2, 3	–
04	16/2007–08	–	1, 2, 3, 4	–
05	29/2011–12	–	1, 2, 3, 4	–

2. सतत् अनियमिततायें – शून्य

3. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

4. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्राम्भिक अवशेष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर		अंतिम अवशेष
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	
2013—14	5.321	360.208	349.208	—	—	16.321
2014—15	16.321	578.434	581.350	—	—	13.405
2015—16	13.405	638.803	626.291	—	—	25.917

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : योजना के उद्देश्यों के विपरीत पेयजल योजनाओं पर ` 253.23 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग–VI के नियम 633 के नियमानुसार जिन योजनाओं के उद्देश्यों के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है उस धनराशि का व्यय उन्ही उद्देश्यों के अनुरूप धनराशि व्यय की जानी अपेक्षित होती है।

कार्यालय के संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुर्ननिर्माण हेतु विशेष केन्द्रिय सहायता हेतु धनराशि प्राप्ति के लिए कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रस्तुत आकलन ` 298.75 लाख के सापेक्ष ` 258.72 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके अंतर्गत स्वीकृत कुल 326 हैण्डपंपों का रिबोट कार्य के अंतर्गत पेयजल निर्माण निगम निर्माण शाखा, ऊधमसिंह नगर द्वारा निम्नवत् पेयजल हैडपंप रिबोट कार्यो हेतु अन्य निर्माण शाखा का धनराशि वितरित की गयी थी–

	निर्माण शाखा	**हैण्डपंप रिबोट कार्य की मात्रा**	**उपलब्ध कार्य की गयी (धनराशि)**
i.	पेयजल निर्माण शाखा, काशीपुर	116	` 36.77 लाख
ii.	पेयजल निर्माण शाखा, यांत्रिक, हल्द्वानी, नैनीताल	105	` 188.66 लाख
		221	` 225.43 लाख

तथा, शेष 105 हैण्डपंपों का रिबोट हेतु, ` 33.29 लाख की धनराशि अपने पास रखा गया था। लेखाापीरक्षा द्वारा प्राक्कलन के अवरोधन में पाया कि प्राक्कलन में स्थाई रूप से खराब पड़े हैण्डपंपो के रिबोट कार्यों हेतु सम्मिलित किया गया था जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए था। आगे, पाया गया कि प्राक्कलन में सम्मिलित पेयजल योजनाओं की सूची को ना तो सक्षम प्राधिकारी (जिला अधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को ही सम्मिलित किया गया बल्कि स्थाई दल से खराब पड़े हैण्डपम्पों की रिबोट कार्यों को संपादित किया गया।

इस प्रकार, प्राक्कलन में स्वीकृत कुल 326 हैण्डपंपों की रिबोट कार्यों की सूची ना तो दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुए थे ना ही दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि संबंधित जिलाधिकारी, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सत्यापित किया गया बल्कि सामान्यतः स्थाई रूप से खराब

हैण्डपंपों की रिबोट कार्यों को कार्यान्वित किया गया तथा इस संबंध में, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, ऊधमसिंह नगर के पत्रांक दिनांक 03.03.2011 के द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया गया था कि शाखान्तर्गत दैवी आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद, केन्द्रिय योजनाओं के उद्देश्यों के विपरीत स्थाई रूप से खराब पड़े हैण्डपंपों के रिबोट कार्यों को कार्यान्वित कर, दैवीय मद में व्यय धनराशि समायोजित की गयी। परिणामस्वरूप, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हैण्डपंपो के रिबोट कार्यों की सूची को सम्मिलित न कर जिलाधिकारी द्वारा बिना सम्पादित कराये स्थाई रूप से खराब पड़े हैण्डपंपों की सूची को स्वीकृत प्राक्कलन में शामिल कर रिबोट कार्यों को कार्यान्वित कर योजना के उद्देश्यों के विपरीत पेयजल योजनाओं पर ` 253.23 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हैण्डपंपों की सूची संलगन की गयी जो निर्माण शाखा, रूद्रपुर काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार ही हैण्डपंपों के रिबोट कार्य (स्थाई) मरम्मत के कार्य संपादित किये गये थे तथा प्राक्कलन में जो सूची संलग्न की गयी थी उसमें उल्लेख किया गया था कि हैण्डपंप दैवीय आपदा के अंतर्गत प्रस्तावित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र के द्वारा स्पष्ट किया जा चूका था कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त इस शाखान्तर्गत कोई योजना नहीं थी। इसके अलावा, योजना के स्वीकृति शासनादेश की शर्तों के अनुसार, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के अंतर्गत हैण्डपो की सूची को प्राक्कलन में सम्मिलित करने से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ना तो सत्यापित कराया गया ना ही सत्यापित हेतु (हैण्डपंपो की सूची) मुख्य विकास अधिकारी के प्रेषित पत्रों की छायाप्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, बल्कि सामान्यतः स्थाई रूप से खराब पड़े हैण्डपंपों की सूची को प्राक्कलन में सम्मिलित कर योजना के उद्देश्यों के विपरीत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल येाजनाओं के पुननिर्माण हेतु आवेदित विशेष केन्द्रिय सहायता धनराशि को अनियमित रूप से व्यय किया गया।

इस प्रकार, योजना के उद्देश्यों के विपरीत पेयजल योजनाओं पर ` 253.23 लाख काक अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 73.79 लाख के कार्यों को विभाजित कर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रस्तर 3 (10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम कार्य की मात्रा की एक साथ निविदा/अधिप्राप्ति की जानी चाहिए तथा आवश्यक कार्य की मात्रा को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। किसी निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु नियमावली के प्रस्तर 29 के अनुसार निम्न चरणों का क्रमशः पालन किया जाना चाहिए जिसमें प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट, प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, डी.पी.आर. तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति, धनराशि का विनियोग, निविदा प्रक्रिया–निविदा आमंत्रण तथा निर्माण कार्य का क्रियान्वयन/नियमावली के प्रस्तर 13 (1) के अनुसार ` 25.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदाएं कम से कम 02 व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापित की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, रूद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि श्री पुर विचना पेयजल योजना, भाग–IV के लिए निर्माण कार्य की आगणित लागत ` 99.37 लाख थी। निर्माण कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा ` 73.79 लाख, फरवरी 2016 में 64.41 लाख तथा मार्च 2016 में ` 9.38 लाख की धनराशि इकाई को उपलब्ध करायी गयी। इकाई द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा धनराशि आवंटन के पूर्व ही निविदाएं दिनांक 08.06.15 को आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 17.03.16 को ठेकेदार हिफजे अली से पाइप लाइन निर्माण हेतु ` 37,31,107.35 कर अनुबंध गठित किया गया। कार्य हेतु पुनः निविदा दिनांक 04.04.16 को आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 28.05.16 को मैं गणपति इण्टर प्राइजेज को ` 18,37,720.71 का अनुबंध योजना के पाइप लाइन निर्माण हेतु गठित किया गया। इस प्रकार पेयजल योजना के पाइप लाइन निर्माण हेतु 2 माह की अवधि मे ंदो अलग–अलग अनुबंध गठित किये गये। अभिलेखों की सवींक्षा में यह भी पाया गया कि कार्य की प्राविधिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी थी। कर्म हेतु निविदाएं अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत स्थानीय स्तर के दो समाचार पत्रों शाह टाइम्स तथा सहारा इण्डिया,

हल्द्वानी में प्रकाशित की गयी। लेखापरीक्षा तिथि तक योजना पर ` 58.44 लाख का व्यय किया गया था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर बताया गया कि प्रशासकीय विभाग द्वारा धनावंटन हेतु दिये गये मौखिक आश्वासन के तहत धनावंटन से पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी तथा धनराशि प्राप्त होने पर अनुबंध की कार्यवाही की गयी। इकाई द्वारा बताया गया कि अनुबंध के अनुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अनुबंध का अन्तिमीकरण किया जाना है परन्तु कार्य की प्राविधिक/तकनीकी स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी। एक से अधिक अनुबंध तथा एक से अधिक निविदायें आमंत्रित किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग–अलग किश्तों को समय–समय पर धनावंटन किये जाने के कारण अलग–अलग निविदाएं आमंत्रित की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशासकीय विभाग के मौखिक आश्वासन पर निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकती। अधिप्राप्ति नियमावली के प्रस्तर 29 के अनुसार निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न चरणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार योजना हेतु धनराशि के विनियोग के पश्चात् ही निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए, योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। प्रशासकीय विभाग द्वारा इकाई को फरवरी/मार्च 2016 में ` 73.79 लाख की धनराशि आवंटित की, गई परन्तु इकाई द्वारा पेयजल योजना के पाइप लाइन निर्माण हेतु दो (02) अनुबंध गठित किये गये जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रस्तर 3 (10) के प्रावधानों के विरूद्ध था। इस प्रकार इकाई द्वारा निर्माण कार्य हेतु धनराशि के विनियोग के पूर्व निविदा आमंत्रित किया जाना, येाजना के कार्यों को अलग–अलग अनुबंध गठित कर विभाजित करना चाहिए जिससे अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं की जा सकी, तथा सक्षम अधिकारी से कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ किया जाना उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध है।

STAN

प्रस्तर 1 : नियम के विरूद्ध ` 363.76 लाख के निक्षेपण कार्यों की लेखाबंदी न करना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol-VI के पैरा 514 के अनुसार किसी कार्य के लेखा को यथाशीघ्र कार्य के पूरा होने पर बंद किया जाना चाहिए तथा 519 (ब) के अनुसार यदि यह एक निक्षेपण कार्य है तो प्रखण्ड अधिकारी के अनुमोदन के साथ किसी अप्रत्याशित जमा राशि के समर्पण के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

इकाई के निक्षेपण निर्माण संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि संलग्नक में दर्शाये गये कार्य पूर्ण होने के बाद भी उनकी लेखाबंदी नहीं की गयी है जो कि पैरा 514 के विपरीत है। नियमानुसार इकाई को जमा राशि के समर्पण हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी थी, जिसे इकाई द्वारा नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रतित्युत्तर को विगत 2014–15 व 2015–6 में लेखाबंदी की गयी, योजनाओं का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संलग्नक में दर्शायी गयी योजनाएं शामिल नहीं है। साथ ही बताया गया की योजना इस वित्तीय वर्ष में जल संस्थान ऊधमसिंह नगर को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कार्यपूर्ण होने पश्चात् लेखाबंद किया जाना चाहिए था तथा जमा धनराशि के समर्पण हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए थी।

अतः ` 363.76 लाख के कार्यों की लेखाबंदी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक

ऐसी योजनाएं/कार्य जिनकी लेखाबंदी नहीं की गयी है।

(धनराशि ` लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1	MNP प्रतापपुरा ग्रा.सामु.पे.यो. पार्ट–II (13–14) खटीमा	97.300	97.300	97.65	कार्य पूर्ण
2	MNP गौरीखेड़ा ग्रा.सामु.पे.यो. पार्ट–II (13–14) सितारगंज	99.500	99.5	98.969	कार्य पूर्ण
3	MNP गौरीखेड़ा ग्रा.सामु.पे.यो. पार्ट–II (15–16) खटीमा	65.1800	65.188	78.571	कार्य पूर्ण
4	प्रतापपुरा ग्रा.सामु.पे.यो.पार्ट–III (15–16) खटीमा	18.624	18.624	19.369	कार्य पूर्ण
5	प्रतापपुरा ग्रा.सामु.पे.यो.पार्ट–III (15–16) खटीमा	12.642	12.642	12.672	कार्य पूर्ण
6	गौरीखेड़ा ग्रा.सामु.पे.यो. पार्ट–III (15–16) सितारगंज	14.312	14.312	14.884	कार्य पूर्ण
7	लालपुर पे.यो. (रूद्रपुर–किच्छा)	51.400	40.443	41.642	कार्य पूर्ण
				363.757	

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **अधिशासी अभियंता, निर्माण, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र